रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2011/चैत्र 16, 1933

No. 580] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2011/CHAITRA 16, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2011

का.आ. 695(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का0आ0 1533(अ) , तारीख 14 सितंबर, 2006, द्वारा निदेश दिया था कि उसके प्रकाशन की तारीख से ही, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार से या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा केवल पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा;

और, उक्त अधिसूचना में प्रयुक्त " निर्मित क्षेत्र" पद के संबंध में स्पष्टीकरण का उपबंध करने और अधिसूचना के भिन्न-भिन्न पैराओं को पारस्परिक रूप से संगत बनाने के लिए भी तथा ऐसे अनाशयित परिवर्तनों को प्रत्यावर्तित करने के लिए जो राजमार्ग परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में विशेषकर मद संख्या 7(च) के सामने प्रविष्टि में का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009 द्वारा संशोधन करते समय अधिसूचना में किए गए थे और उक्त अधिसूचना में उपयुक्त संशोधन करने के इस प्रयोजन के लिए विनिश्चय किया गया है ।

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों का नियम 5 का उपनियम (3) का खंड (क) यह उपबंधित करता है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार यह विचार करती है कि किसी उद्योग पर या

किसी क्षेत्र में किन्हीं प्रक्रियाओं या प्रचालन को चलाने पर, प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोपित करना चाहिए तो वह ऐसा करने के लिए अपने आशय की सूचना देगी;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों का नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंधित करता है कि उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को जब कभी यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, वह उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(I) पैरा 6 में "सभी मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति मांगने के लिए कोई आवेदन," शब्दों के पश्चात् "परियोजना प्रस्तावक द्वारा" किया जाएगा ।

(II) पैरा 7, के खंड (i) के उप पैरा II क्रम (2) विस्तारण के उप पैरा (i) के अंतिम वाक्य में "अनुसूची की मद 8 में प्रवर्ग ख के रूप में सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों (संनिर्माण, नगरी/ वाणिज्यिक, काम्पलैक्स/आवासन)" के स्थान निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"अनुसूची की मद 8(क) में प्रवर्ग ख के रूप में सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों (निर्माण और संनिर्माण परियोजना)" ।

(III) अनुसूची में,-

(i) मद 1(क) के सामने ,-

स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् –

" साधारण शर्तें लागू होंगी ।

टिप्पणः

(i) ऐसे खान पटटे के नवीकरण के प्रक्रम पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति भी अपेक्षित है जिसके लिए आवेदन, नवीकरण की तारीख से एक वर्ष पूर्व किया जाना चाहिए ।

(ii) खनिज पूर्वेक्षण छूट प्राप्त है ।"

(ii) मद 7(च) के सामने ,-

स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर " (i) सभी राज्य राजमार्ग परियोजनाएं; और" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

" (i) सभी नई राज्य राजमार्ग परियोजनाएं " ।

(iii) मद 8(क) के सामने,-

स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए निर्मित क्षेत्र को "बेसमेंट (बेसमेंटों) सहित, समस्त मंजिलें एक साथ रखे जाने पर निर्मित या आच्छादित क्षेत्र और अन्य सेवा क्षेत्र जो निर्माण/संनिर्माण परियोजनाओं में प्रस्तावित किए गए हैं" के रूप में परिभाषित है ।"

(IV) परिशिष्ट 5 के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

" 3 जहां कोई लोक परामर्श आज्ञापक नहीं है वहां आकलन, विहित आवेदन प्ररूप-1 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर अनुसूची की मद 8 से भिन्न सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में किया जाएगा । अनुसूची की मद 8 की दशा में इसके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुए संबंधित पर्यावरणीय निर्धारण समिति या राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति प्ररूप-1, प्ररूप-1क, धारणा योजना और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट [केवल 8(ख) के अधीन सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए अपेक्षित] के आधार पर परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आकलन करेंगी और पर्यावरणीय अनापत्ति को प्रदान करने के संबंध में परियोजना पर या अन्यथा सिफारिशें करेंगी तथा पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्तें भी नियत करेंगी" ।

[फा. सं. 3-101/2010-आईए. III]

डा. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का0आ0 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का0आ0 1737(अ), तारीख 11 अक्तुबर, 2007 और का0आ0 सं. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2011

S.O. 695(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on or from the dates of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, it has been decided to provide clarification with regard to the term "built up area" used in the said Notification and also to make various paras of the Notification mutually consistent and to restore the unintentional changes, which got into the Notification while making amendment vide S.O. 3067 (E) dated 1st December, 2009, in particular the entry against item no. 7(f) in the schedule to the EIA Notification, 2006 relating to highway projects and for this purpose to issue suitable amendments in the said Notification.

And whereas, clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, whenever the Central Government considers that

prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall given notice of its intention to do so;

And whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3);

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, the Central Government hereby makes the following amendments in the said Notification, namely:-

In the said notification, -

(I) In para 6, for the existing words "An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made", the following words shall be substituted, namely:-

> "An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made by the project proponent".

(II) In para 7, in sub-para 7 in clause (i), sub para II, stage (2) – scoping, sub para (i), in the last sentence, for the words "activities listed as Category 'B' in item 8 of the schedule (Construction / Township / Commercial Complexes / Housing)", the following words shall be substituted, namely:-

> "Activities listed as Category 'B' in item 8(a) of the schedule (building and construction projects)".

12449ЯІІ-2

(III) In the Schedule, -

(i) against item 1(a), -

in column (5), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"General conditions shall apply.

Note:

(i) Prior environmental clearance is as well required at the stage of renewal of mine lease for which application should be made up to one year prior to date of renewal.

(ii) Mineral prospecting is exempted."

(ii) against item 7(f), -

in column (4), for the entry "(i) All State Highway Projects; and" the following entry shall be substituted, namely:-

"(i) All New State Highway Projects".

(iii) against item 8(a), -

in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"The built up area for the purpose of this Notification is defined as "the built up or covered area on all the floors put together including basement(s) and other service areas, which are proposed in the building / construction projects"."

(IV) In Appendix V, for para 3, the following para shall be substituted, namely:-

"3. where a public consultation is not mandatory, the appraisal shall be made on the basis of prescribed application Form-1 and EIA report, in the case of all projects and activities other than item 8 of the schedule. In the case of item 8 of the schedule, considering its unique project cycle, the EAC or SEAC concerned shall appraise projects or activities on the basis of Form-1, Form-1A, conceptual plan and the EIA report [required only for projects listed under 8(b)] and make recommendations on the project regarding grant of environmental clearance or otherwise and also stipulate the conditions for environmental clearance".

[F. No. 3-101/2010-IA. III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007 and S.O. No. 3067(E) dated 1st December, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.